

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा ।

दिनांक-06.08.2024


आदेश

पूर्व में पारित रिमाण्ड आदेश माह अगस्त तक ही प्रभावी है। अतः माह सितम्बर, अक्टूबर, नवम्बर व दिसम्बर, 2024 तथा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2025 में रिमाण्ड कार्य के सम्पादन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया जाता है :-

क्र.सं.	पीठासीन अधिकारी का नाम व पदनाम	रिमाण्ड ड्यूटी का माह
1.	श्री उमेश यादव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० -1, इटावा।	सितम्बर, 2024
2.	श्रीमती आरती द्विवेदी अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० -2, इटावा।	अक्टूबर, 2024
3.	श्री दानवीर सिंह, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० -3, इटावा।	नवम्बर, 2024
4.	श्री सर्वेश सिंह यादव अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० -4, इटावा	दिनांक-01.12.2024 से 28.12.2024 तक
5.	श्री राजन कुमार गौड अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० -5, इटावा।	दिनांक-29.12.2024 से 31.01.2025 तक
6.	सुश्री संगीता न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट सं० -2, इटावा।	फरवरी, 2025
7.	श्री अभय सिंह अपर सिविल जज (पूर्व) कोर्ट सं० -1/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा।	मार्च, 2025
8.	श्रीमती अदिति मलहोत्रा अपर सिविल जज (जू०डि०)कोर्ट सं० -4/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, इटावा।	अप्रैल, 2025

आदेश की एक प्रति माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय इटावा को सादर सूचनार्थ प्रेषित की जाए तथा उपर्युक्त आदेश से सभी सम्बन्धित को सूचित किया जाए । तदोपरान्त गार्ड फाइल में अनुरक्षित किया जाए ।

दिनांक 06.08.2024


(नीरज कुशवाहा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
इटावा ।